आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30.01.2024	**वाद संख्या–04/2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती सरीता देवी, ग्राम+पो0+पंचायत–चपरी, प्रखण्ड–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा दूरभाष के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा अनुपस्थित। आयोग के निर्देश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा का प्रतिवेदन अभिलेख में मौजूद है। प्रतिवेदन में विस्तार से उन बातों का उल्लेख किया गया है, जिन कारणों के चलते शिकायतकर्ता को दिक्कतें आ रही हैं। आयोग शिकायतकर्ता को जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन की एक प्रति भेजे जाने का निर्देश देता है और शिकायतकर्ता को निर्देश देता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन में जिन बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है, उसका स्वयं अनुपालन करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता चाहें तो अगली सुनवाई में अपना पक्ष रख सकते हैं। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–28.02.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.02.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

E:\Ziyauf\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx153